# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

**पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**

**अनुवान :- औमप्रकाश आदि बनाम राजस्थान सरकार अन्य**

प्रार्थना पत्र संख्या :— 279 / 2024

**निर्णय दिनांक :-** ..........17.1.25.

1. औमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. बजरंग पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. रामनिवास पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।

— प्रार्थीगण —

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।
2. भादरराम पुत्र मोटाराम जाति ब्राह्मण निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. भागीरथ पुत्र गुलाबचन्द जाति ब्राह्मण निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।
4. सुगनाराम पुत्र रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।
5. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पूनसीसर तहसील तारानगर जिला चूरू।

— अप्रार्थीगण —

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट**

**उपस्थित** :—1. श्री केदारमल स्वामी अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण।

2. राजपैरोकार वास्ते तहसीलदार तारानगर वास्ते अप्रार्थी संख्या 01।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

## -: निर्णय :-

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि **कृषि भूमि खसरा नं. 1202 / 122 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा नं. 1204 / 470 तादादी 3.6418 हैक्ट., खसरा नं. 1273 / 130 तादादी 0.5058 हैक्ट., खसरा नं. 1275 / 128 तादादी 1.8209 हेक्ट. कुल तादादी 7.8526 हैक्ट. रोही पूनसीसर** तहसील तारानगर जिला चूरू का खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। कृषि भूमि **खसरा नं. 1273 / 130 तादादी 0.5058 हैक्ट. खसरा नं. 1275 / 128 तादादी 1.8209 हेक्ट. रोही पूनसीसर** में है जो गांव के नजदीक है, पड़ौसियान हमेशा सींव बाबत प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते है। जिसक कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारों ओर बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने खेत को सुधार सकते है। उक्त कृषिभूमि गांव के नजदीक होने के कारण आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थीगण की कृषिभूमि सींव कटने से कम हो गई इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाना चाहते है एवं पत्थरगढ़ी कराने चाहते है ताकि शांति बनी रह सके तथा लड़ाई झगड़ा किसी पड़ौसी के साथ न हो। पहले भी प्रार्थीगण ने पैमाईश करने के लिये पिछली साल दिये तो पटवारी हल्का मौका पर गया लेकिन पडौसीयों ने पैमाईश नहीं करने दी। इस कारण न्यायालय में अपने खेतों की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण ने

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

प्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार के मातहत कर्मचारी पटवारी हल्का को कहा कि आप हमारे खेत का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढ़ी कर दो तो पटवारी हल्का ने कहा कि न्यायालय से आदेश करा लो तक हम सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कर देगें। न्यायालय के आदेश बिना हम पत्थरगढी नहीं कर सकते है। प्रार्थीगण के लिये अपने खेत का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है, ताकि प्रार्थीगण अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी कर सके ताकि प्रार्थीयागण की फसल पशुओ से बर्बाद न हो और ना ही किसी पडौसी खातेदार से सीमा सम्बधी विवाद हो।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त **कृषि भूमि खसरा नं. 1202/122 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा नं. 1204/470 तादादी 3.6418 हैक्ट., खसरा नं. 1273/130 तादादी 0.5058 हैक्ट., खसरा नं. 1275/128 तादादी 1.8209 हेक्ट. कुल तादादी 7.8526 हैक्ट. रोही पूनसीसर** की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार तारानगर की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 रजिस्टर्ड नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहें। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नही होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नही हुआ।

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण खेत **कृषि भूमि खसरा नं. 1202/122 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा नं. 1204/470 तादादी 3.6418 हैक्ट., खसरा नं. 1273/130 तादादी 0.5058 हैक्ट., खसरा नं. 1275/128 तादादी 1.8209 हेक्ट. कुल तादादी 7.8526 हैक्ट. रोही पूनसीसर** तहसील तारानगर जिला चूरू का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक प्रार्थीगण की **कृषि भूमि खसरा नं. 1202/122 तादादी 1.8841 हैक्ट., खसरा नं. 1204/470 तादादी 3.6418 हैक्ट., खसरा नं. 1273/130 तादादी 0.5058 हैक्ट. खसरा नं. 1275/128 तादादी 1.8209 हेक्ट. कुल तादादी 7.8526 हैक्ट. रोही पूनसीसर** कें सीमाचिन्ह राजस्व कार्मिकों टीम से स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में कायम करावें। किसी भी पडौसी खातेदार को बिना विधिक प्रकिया के मौके से बेदखल न किया जावें। सीमाचिन्ह कायम करने का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जांवें।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 17.1.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)